



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/३५१६

दिनांक : 17.03.2021

कार्यालय आदेश

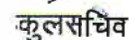
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित शिक्षकों के पदों की भर्ती को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालयों में बी०ए० डिग्री धारकों को विज्ञापित विज्ञापन में आवेदन करना है को दृष्टिगत रखते हुये बी०ए० से सम्बन्धित जो भी अंकतालिकायें डिटेन (DET.) है, उनकी समस्याओं का तत्काल निस्तारण किये जाने हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है :-

01. बी०ए० सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन पर बी०ए० सैल / परीक्षा विभाग द्वारा रिपोर्ट लगाकर तत्काल गोपनीय विभाग के पटल प्रभारी को उपलब्ध कराये जायेंगे। तत्समय गोपनीय विभाग के पटल प्रभारी बी०ए० द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सम्बन्धित अभ्यर्थी को उसकी अंकतालिका उसी दिन अथवा अगले दिन आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दी गयी है अथवा नहीं। सहायक कुलसचिव (गोपनीय) द्वारा इस कार्य हेतु बी०ए० अनुभाग के किसी एक कर्मी को नामित करना सुनिश्चित करें।
02. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/बी०ए० सैल) द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन पर परीक्षा/बी०ए० सैल के पटल प्रभारी द्वारा प्रत्यावेदन पर रिपोर्ट लगाकर गोपनीय विभाग के पटल प्रभारी को उपलब्ध करायी गयी है अथवा नहीं तथा गोपनीय विभाग के सम्बन्धित पटल सहायक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सम्बन्धित अभ्यर्थी को उसकी अंकतालिका प्राप्त हुई है अथवा नहीं।
03. सहायक कुलसचिव (गोपनीय) को निर्देशित किया जाता है कि बी०ए० पटल की खिड़की को पूर्ण रूप से खोलते हुये किसी एक कर्मी को नामित करते हुये उसका नाम एवं फोन नम्बर उपलब्ध कराये, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदनों का समयान्तर्गत निस्तारण किया जा रहा है। यदि बी०ए० अनुभाग से छात्र/छात्राओं को अंकतालिकाओं प्राप्त होने में कोई कटिनाई अथवा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित पदों पर अंकतालिका प्राप्त न होने के कारण आवेदन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति-कुलपति जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा), को अनुपालनार्थ प्रेषित।
04. विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता।
05. प्रभारी, वेबसाइट


कुलसचिव